(1)	(2)	(3)
3	Shri S. M. Chakravarty	Central Government
4	Shri A. P. Maheshwary	Do.
5	Shri B. K. Ghose	State Bank of India
6	Shri K. S. T. Pani	Do.
7	Shri S. G. Subrahmanyan	Life Insurance Corporation
8	Shri N. Khaitan	Shareholder
9	Shri B. K. Shroff	Do.
10	Shri N. Nagaraj	Do.

Note :— The maximum number of Directors as provided for in the Articles of Association is 12.

आकाशवाणी, गोरखपुर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

5135. **श्री किरंगी प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से जून, 1978 की अवधि के दौरान आकाशवाणी पर कार्यक्रमों को देने के मामले में संसद् सदस्यों और सामान्य जनता से उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी गोरखपुर के कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, तीन।

(ख) प्राप्त शिकायतें जांच के प्रारम्भिक चरण में हैं, अतः फिलहाल कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ?

उत्तर प्रदेश के जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना

5136. **श्री रुद्र सेन चौधरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) वहां पर पिछड़े घोषित किए गये जिलों के विकास के लिए सरकार ने क्या योजना अपनायी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र इस समय निम्नलिखित कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत आते हैं :—

1. निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम।

2. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने की स्कीम।

3. परिवहन सहायता की केन्द्रीय स्कीम।

4. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

5. जन जातीय उप-योजनाएं ।

6. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कायक्रम ।

विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत चुने गए क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1. निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए पात्र चुना गया है ।

बलिया' झांसी*, अल्मोड़ा**, ब[illegible]* फैजाबाद**, और राय बरेली**

इस स्कीम के अंतर्गत चुने हुए पिछड़े जिलों में औद्योगिक इकाइयों को नई इकाइयों के स्थाई पंजी निवश और पर्याप्त विस्तार करने वाली वर्तमान इकाइयों द्वारा अतिरिक्त निवश के 15 प्रतिशत की दर से निवेश सहायता दी जाती है ।

2. वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चुना गया है जो वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं :—

अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं,बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर*, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी* मैनपुरी, मथुरा, मुरादा[illegible], पीलीभीत, पिथौरागढ़,क़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी ।

इस स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवश निगम जैसी अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

3. परिवहन सहायता

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पहाड़ी क्षेत्र परिवहन सहायता की केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत आते हैं :—

देहरादून, ननीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिले ।

केन्द्रीय परिवहन सहायता स्कीम के अंतर्गत, चुने हुए क्षेत्रों में बागान, तेल शोधक कारखानों और विद्युत उत्पादक इकाइयों को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाइयों को कुछ निर्धारित रेल लाइन समाप्त होने के स्थानों/पत्तनों से औद्योगिक कच्चे सामान और तैयार उत्पादों की परिवहन लागत के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता दी जाती है ।

4. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं :—

नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, और देहरादून ।

---

*जिलों के हाल में हुए पुनर्गठन से यथास्थित जिलों का द्योतक है ।

**दिनांक 10-7-1972 के बाद चुने गये जिलों/उप मंडलों/तालुकों/खण्डों/तहसीलों का द्योतक है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बनाई गई उप-योजना के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया जाता है ।

5. जनजातीय उप-योजना

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र, जनजातीय उप-योजना की स्कीम के अंतर्गत आते हैं :—

लखीमपुर खीरी जिले की निघेसन तहसील के गांव—सुरमा, पुरैना, मंगल पुरवा, गुबरेला, ध्यानपुर, सोनाहा, बांदेर भरारी, चन्दर चौकी, बलेरा पोया बैलडण्डी, मुदनोखनी, पचपेरा, बरबाटा, धुस्किया, रामनगर, परसिया, मरिया पारा, धकिया, ममन खम्ब, पिपरौला, जय नगर, बोखाटी, धोराही, बिरिया, नझोटा, सुन्दा, भुदा पश्चिम, छेदिया पश्चिम, मरहा मेंधा, बजही, कजरिया, वंगाइन, छिदिया पूरब, कीरतपुर, गोलबोझी, सोरा पुरवा, बेला परसुबा, रघु नगर, किशन नगर और काडिया फरेन्दा; गोंडा जिले के पेचपेरवा और गैनसारी खण्ड ।

6. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं :—

मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर ।

सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) सूखे की तीव्रता और कठिनाई के प्रभाव को निश्चित समयावधि में दूर करना ;

(2) भूमि, जल, पशुधन और मानवीय संसाधनों पर प्राथमिक रूप से जोर देते हुए क्षेत्र में सभी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना; और

(3) गांव के गरीबों की जीवन-दशाओं में सुधार करना जिनको कमी और सूखे की स्थितियों में सब से अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं ।

Amendment to the Official Secrets Act

5137. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his Ministry is aware of the fact that the British Official Secrets Act, which we follow here, is being amended allowing a right to the people to having access to all official documents other than the highly sensitive genuine ones dealing with the national security on the lines it is existance in the Scandinavian countries;

(b) even after independence what is the reason for India to follow the outdated British pattern Act;

(c) whether the Ministry would bring an Act to guarantee right to all people to having access to all official documents, other than the highly sensitive genuine ones dealing with national security;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) The Government have seen press reports to the effect that the Government of United Kingdom have brought out a White Paper indicating the likelihood of amendments to their official secrets Act. The exact scope of the likely amendments is not known.

(b) The Official Secrets Act, 1923 has been amended from time to time to meet our requirements.

(c) to (e). The provisions of the Official Secrets Act, 1923 are designed primarily to safeguard national